संचिका सं.–03/SBM-01-03/2016 2069 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :– 30/7/19

विषय :– **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु संशोधित दर पर डस्टबीन क्रय के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–2442, दिनांक–21.09.2017।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि शहरी निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 क्रियान्वयन में माननीय NGT O.A. No.-606/2018 में पारित आदेश के आलोक में प्रत्येक घर से गीले एवं सूखे कचरे को अलग–अलग संग्रहण करना (Segregation at Source) अनिवार्य किया गया है। इसके लिए वार्ड अंतर्गत सभी घरों में नीला एवं हरा डस्टबीन निमयानुकूल उपलब्ध कराया जाना है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में तत्कालीन दर उपलब्धता (मार्केट सर्वे) के आधार पर डस्टबीन क्रय करने के लिए विभागीय पत्रांक–2442, दिनांक–02.11.2017 में अधिकतम दर 225/– रु. निर्धारित की गई थी, जिसे वर्तमान में संशोधित करते हुए अधिकतम दर प्रति जोड़ी 165/– रु. किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि विशिष्टता के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले Household Dustbin GeM Portal के माध्यम से क्रय किया जाए। क्रय की अधिक मात्रा होने पर Reverse Bidding प्रक्रिया को भी अपनाते हुए उपरोक्त अधिकतम दर की सीमा के अन्दर कम से कम दर पर क्रय करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि यदि किसी GeM Portal के Supplier द्वारा Dustbin के Order देने के बाद Supply नहीं की जाती है, तो इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए GeM Authorites को अविलंब सूचित किया जाए, ताकि ऐसे Supplier को उनके द्वारा Blacklisted किया जाए। ऐसे Defaulter Supplier की सूचना विभाग को भी प्रेषित की जाए।

विश्वासभाजन,

29/7/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

E:\till October-SBM-SPMU-WORKS\PMU-Daily Letter-.Anil.docx361